जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 20.03.2024**

लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम) द्वारा चैकिंग के दौरान कार चालक से 14 लाख रुपये बरामदः-

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एव निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शामली के द्वारा चैकिंग हेतु FST (फ्लाईंग स्क्वायड टीम) का गठन किया गया है।

उक्त क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद शामली के निर्देशन में उड़न दस्ता टीम (FST-03 थानाभवन) द्वारा थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत हथछौया पुलिया पर चैकिंग के दौरान एक गाड़ी होण्ड़ा डब्लू आर वी गाड़ी संख्या UP14DE-6633 की चैकिंग की गयी तो गाड़ी चालक आदेश कुमार पुत्र जयकुमार निवासी चंदेना कोली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के पास एक बैग में 14 लाख रूपये रखे हुए मिले। उपरोक्त रूपयों के सम्बन्ध में गाड़ी चालक से दस्तावेज मांगे गये तो कोई दस्तावेज नही दिखा सका। बरामदगी के सम्बन्ध में आयकर विभाग को सूचना से अवगत कराते हुए थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गाडी चालकः-

1.आदेश कुमार पुत्र जयकुमार निवासी चंदेना कोली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

14 लाख रुपये नगद।

चैकिंग करने वाली फ्लाईंग स्क्वायड टीमः-

1.श्री राजेन्द्र तिवारी (मजिस्ट्रेट) अपर सांख्यिकीय अधिकारी शामली।
2.निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
3.रजनीश कुमार (वीडियोग्राफर) सफाई कर्मचारी विकास खण्ड थानाभवन जनपद शामली।
4.उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली
5.है0का0 देवेन्द्र थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
6. का0 केतन राणा थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू पुत्र लक्ष्मण निवासी कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.राजकुमार पुत्र चन्दू निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.नितिन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम कसेरवा खुर्द थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

2.शराब तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्पलेंडर मो0सा0 रजि0 नं0-यू0पी0 12 यू 9180।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0कां0 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0कां0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली व गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के पव्वे बरामदः-

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली व गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध 40 पव्वे (22+18) देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली व गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शिब्बा पुत्र राज्जा निवासी मौ0 सुभाषपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली (गिर0 थाना गढीपुख्ता)।

2.राजेश पुत्र रणधीर सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत (गिर0 को0 शामली)।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 40 पव्वे देशी शराब (22+18 शिब्बा व राजेश)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री यशपाल सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री बाबूराम थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.है0का0 रोबिन त्यागी थाना कोतवाली जनपद शामली।

4.का0 सचिन कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

5.का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 19.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.02.2024 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अक्षय पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम जलालापुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 33/24 धारा 363 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री दुर्गपाल थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.म0का0 संगीता थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 19.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिन्दर पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 विनय कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.है0का0 जहीन अख्तर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 किलो ग्राम डोड़ा चूर्ण बरामदः-</u>

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 05 किलो ग्राम डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मुर्सलीन पुत्र करीमुद्दीन निवासी ग्राम जिलौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध डोडा चूर्ण 05 किलो ग्राम।

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 मुर्सलीन उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 247/2014 धारा 380/411/332/353/504/506/224 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 110/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 630/2014 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0स0 438/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 अजयपाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अंशुल पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राहुल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 आशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा युवक को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रांतर्गत युवक को आत्महत्या करने हेतु उकसाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उपरोक्त घटना में शामिल 03 अभियुक्तों 1.आरती पत्नि दीपक 2.जोनी पुत्र पोपल 3.इसरान पुत्र हारून को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कैराना पुलिस लगातार प्रयासरत है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.09.2023 को वादी श्री सतवीर पुत्र चन्दरु निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अपने पुत्र को अभियुक्तगण द्वारा आत्महत्या करने हेतु उकसाने के सम्बन्ध में कैराना पर नामजद तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.सोनू पुत्र पोपल निवासी ग्राम मवि थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

2.मु0अ0सं0 486/2023 धारा 306/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री आनंद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 अंकित मावी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकला में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 19.03.2024 को श्री वादी श्री मुस्तफा पुत्र छोटा निवासी मौहल्ला आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के साथ साद पुत्र नूर आदि 11 नफर अभियुक्तों व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाठी डण्डों से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलकला में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला करना तथा घर में मौजूद नाबालिग/महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.आमिर पुत्र साबिर निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।

आराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 130/24 धारा 147,148,149,323,307,354ख,504,506 भादवि व 9M/10 पोक्सो एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 50 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 50 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आनन्द पुत्र बंगाली निवासी ग्राम जन्धेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 50 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 04-04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2018 में थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.उम्मेद पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली 2.बबलू पुत्र अमीचन्द निवासी बहेड़ा ताना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। ***जिसके क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 04-04 वर्ष का कारावास, धारा 323,34 भादवि में 06-06 माह का कारावास व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 दिवस का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.उम्मेद पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.बबलू पुत्र अमीचन्द निवासी बहेड़ा ताना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI